

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(2310) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था / 14 /
Z/50484/2016

जयपुर, दिनांक : 16/5/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अभिमन्यु रूथला, सूचना सहायक, कार्यालय प्रा. स्वा. केन्द्र-तिवाली, सीकर को VMOU, KOTA से MCA पत्राचार से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री अभिमन्यु रूथला को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर, सीकर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अभिमन्यु रूथला, सूचना सहायक, कार्यालय प्रा. स्वा. केन्द्र-तिवाली, सीकर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(4 114) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था / 14 /

जयपुर, दिनांक : 16/05/2016

2150485 / 2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री/श्रीमती अलका दीक्षित, सूचना सहायक, कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक) सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनु को JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR से MCA पत्राचार से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री/श्रीमती अलका दीक्षित को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनु को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुश्री/श्रीमती अलका दीक्षित, सूचना सहायक, कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक) सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, झुंझुनु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव